

15-05-26

पत्रावली पेग हुई। वकील प्राची उपा कर्ड अक्सर के
वाद भी उनके द्वारा तलवी कराया जाना नहीं पाया
जाता है।

अतः प्राचीना पत्र प्राची अंतर्गत-धारा 212 का
इसी तरह पर अदम तकनीक (0985) में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नंबर से कम है,
रघा बैलग्न मूल वाद हो।

५८

उपखण्ड अधिकारी
भुसावळ (नरतपुर)